न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 119/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. डायाराम पुत्र पुनमाजी		1. लक्ष्मण पुत्र पुनमाजी जाति घाँची निवासी दयालपुरा तहसील पाली
2. सोनाराम पुत्र पुनमाजी जातिगण घाँची निवासीगण दयालपुरा तहसील पाली		2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 15.2.19

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2011 डायाराम बनाम लक्ष्मण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम दयालपुरा के खसरा नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 2/3 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया, इसके पश्चात पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत थी। इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत की गई। अपीलाण्ट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। विधि अनुसार राजस्व लोक अदालत में आपसी सहमति से एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सिद्धान्तों से परे जाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण गुणावगुण पर सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत की गई, जिसका अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया था, जो अपीलाण्ट से तामील होने के बावजूद भी अपीलाण्ट उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये वाद को खारिज़ किया गया हैं। इसी सम्बन्ध में पूर्व में भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा भी अपीलाण्ट के प्रकरण को खारिज़ किया जा चुका हैं। इन तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद तथा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जो सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर स्वयं का कब्जा काश्त होने के कारण खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाबदावा में नकारा हैं। इसके पश्चात पत्रावली कायमी तनकीयात में विचाराधीन रही। इस दरम्यान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प दयालपुरा में नियत किया गया। इसकी अपीलाण्ट को जरिये नोटिस सूचना दी गई, किन्तु जो नोटिस जारी किया गया, उसमें कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया कि वाद को कैम्प दयालपुरा में सुनवाई हेतु नियत किया गया हैं। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट कैम्प दयालपुरा में उपस्थित नहीं होने के कारण जैर अपील निर्णय के जरिये अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम पैरवी में खारिज़ कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय त्रुटीपूर्ण हैं, क्योंकि जब नोटिस में पत्रावली लोक अदालत में नियत करने का अंकन ही नहीं था, तो लोक अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण वाद को खारिज़ किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी राजस्व लोक अदालत के तहत आपसी सहमति एवं राजीनामा से ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है, जिससे वाद बाहुल्यता को रोका जा सके। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2011 डायाराम बनाम लक्ष्मण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार पृथक पृथक विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-2-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली